N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0238 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/09/2025 15:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:40 बजे **Time To (समय तक):** 13:48 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/09/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/09/2025 15:42:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 535 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** PATWAR MANDAL PADLA SARODA, TEHASIL SAGWARA JILA DUNGARPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HITESH DENDOR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAGANLAL DENDOR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHANDLAI, SAGWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHANDLAI, SAGWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJAY PATIDAR		पिता:DHANESHWAR PATIDAR	1. POST GOWARI,SAGWARA,SAGWARA ,DUNGARPUR,RAJASTHAN,IND

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2025 को समय 11.40 ए.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर पुत्र श्री मगनलाल डेंन्डोर जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी खडंलई तहसील सागवाडा जिला डूंगरपूर ने उपस्थित चौकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की "मै हितेश कुमार डेंन्डोर पुत्र श्री मगनलाल डेंन्डोर जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी खडंलई तहसील सागवाडा जिला डूंगरपूर का रहने वाला हुं मेरे गांव में घर के पास ही 10 बीस्वा जमीन पडी है जिस पर मेरे दादाजी व पिताजी करीब 50 वर्षो से खेती करते हुए आ रहे है जिस पर मेरे परिवार का कब्जा है उक्त 10 बिस्वा जमीन को मेरे नाम कराने हेतु मैने श्री अजय पाटीदार पटवारी, पटवार हल्का गडाझुमजी से सम्पर्क किया तो श्री अजय पाटीदार जी दिनांक 11.07.2025 को मौके पर मेरे घर के पास पडी सरकारी खाली जमीन जिस पर मेरे पिताजी ने मक्की की फसल बौ रखी है मैने 10 बीस्वा जमीन को श्री अजय जी पटवारी को मौका दिखाया और मेरे नाम पर उक्त जमीन की पेनल्टी चालु कराने हेतु कहा तो श्री अजय जी पटवारी ने मुझे कहा की तुम्हारे कब्जा बता तुम्हारे नाम पर जमीन की पैनल्टी चालू करवाने के बदले मेरी 6 हजार रूपये फिस रहेगी अभी जितने भी हो मूझे रूपये दे दो जिस पर मैने 1000 रूपये श्री अजय जी पटवारी को मौके पर दे दिये और शेष 5000 रूपये थोडे दिनो बाद व्यवस्था करके देने के लिए कहां है फिर मैने दिनांक 08.08.25 को मेरे मोबाईल न. से श्री अजय जी पटवारी के मोबाईल न. पर कॉल कर बात की तो अजय जी ने कहा की ऑफिस आके मिलो इस प्रकार श्री अजय जी पटवारी द्वारा मुझसे 6000 रू की मांग कर 1000 रू लेना व शेष 5000 रू की मांग कर रहा है मै श्री अजय जी पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी अजय जी से पुरानी कोई लेनदेन बाकी नही है ना ही पुरानी कोई दुश्मनी है रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। " मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री हितेश कुमार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर के पास ही 10 बीस्वा सरकारी जमीन खाली पडी है जिस पर मेरे दादाजी व पिताजी करीब 50 वर्षो से खेती करते हुए आ रहे है जिस पर मेरे परिवार का कब्जा है श्री अजय जी पटवारी को मौका दिखाया और मेरे नाम पर उक्त जमीन की पेनल्टी चालु कराने हेतु कहा तो श्री अजय जी पटवारी ने मुझे कहा की तुम्हारे कब्जा बता तुम्हारे नाम पर जमीन की पैनल्टी चालू करवाने के बदले मेरी 6 हजार रूपये फीस रहेगी अभी जितने भी हो मूझे रूपये दे दो जिस पर मैने 1000 रूपये श्री अजय जी पटवारी को मौके पर दे दिये और शेष 5000 रूपये थोडे दिनो बाद व्यवस्था करके देने के लिए कहां है । मै श्री अजय जी पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी अजय जी से पुरानी कोई लेनदेन बाकी नही है ना ही पुरानी कोई दुश्मनी है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि मैंने मेरे स्तर पर पता किया तो पता चला की पटवारी श्री अजय पाटीदार आज पटवार मण्डल पर उपस्थित नही है। जिस पर कार्यालय के कानि0 श्री वीर विक्रम सिंह नं0 189 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री हितेश कुमार व कानि0 श्री वीर विक्रम सिंह नं0 189 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 श्री वीर विक्रम सिंह के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। परिवादी श्री हितेश कुमार को आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 12.08.2025 को समय 10.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर समय 01.10 पीएम पर रवाना किया गया। दिनांक 12.08.2025 समय करीब 10.30 ए.एम पर पुर्व में पाबन्दशुदा परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर उपस्थित कार्यालय आया । मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री वीर विक्रम सिंह नं0 189 को कार्यालय कक्ष में बुलाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड microSDHC 4GB निकाल कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी, पटवार हल्का गडाझुमजी से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु

डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री अजय पाटीदार पटवारी, से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री वीर विक्रम सिंह न. 189 व परिवादी मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल के साथ समय 10.45 ए.एम पर पटवार हल्का गडाझुमजी की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 05.10 पी.एम पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व परिवादी श्री हितेश कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 12.50 पीएम पर पटवार मण्डल गडाझुमजी पहुचे जहा पटवार मण्डल बन्द हो ताला लगा हुआ मिला जिस पर हालात श्रीमान को जरिये मोबाईल अर्ज किये श्रीमान के निर्देशानुसार संद्विग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी की लोकेशन का पता करने हेतु परिवादी को कहा जिस पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर मे पटवारी श्री अजय पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 12.59 पी.एम. पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा तो संद्विग्ध ने कहा की कुछ समय बाद में पटवार मण्डल पाडला सरोदा मिलुंगा उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिस पर मन् कानि. व परिवादी श्री हितेश कुमार मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी की निजी मोटर साईकिल से समय करीब 01.10 पी.एम. पर रवाना हो समय करीब 01.40 पी.एम पर पटवार मण्डल पाडला सरोदा के पास पंहुच समय करीब 01.48 पी.एम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री हितेश कुमार को सुपुर्द कर संद्विग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पटवार मण्डल पाडला सरोदा के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर मन् कानि. व परिवादी श्री हितेश कुमार मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी की निजी मोटर साईकिल से समय करीब 02.05 पी.एम. पर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री हितेश कुमार ने कानि. के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री हितेश कुमार व संद्विग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 4,000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई । तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हितेश कुमार को रिश्वत राशि के रूप में दी जाने वाली राशि 4,000/- रूपये की व्यवस्था कर कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 14.08.2025 को समय करीब 08.30 ए.एम पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया व परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय 06.10 पी.एम पर रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा। दिनांक 13.08.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर श्रीमान उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर दिनांक 14.08.2025 को समय 8.30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 13.08.2025 से तेहरीर जारी कर श्री दीपक कानि0 नम्बर 87 को कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग डूंगरपुर मे तहरीर देने रवाना किया गया। समय 06.00 पी.एम. पर कानि. श्री दीपक मय कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग डूंगरपुर के पत्रांक 2166-68 दिनांक 13.08.2025 के हाजिर कार्यालय आया। उक्त पत्र को मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया। जिसके अनुसार दिनांक 14.08.2025 को प्रातः 8.30 बजे ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर में उपस्थित होने हेतु स्वतन्त्र गवाह श्री जयन्त कुमार चिकित्साधिकारी व श्री कपिल शर्मा कनिष्ठ सहायक को पाबन्द करने का प्राप्त हुआ, उक्त पत्र को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 14.08.2025 को समय 09.20 ए.एम. पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर पुत्र श्री मगनलाल डेंन्डोर जाती भील उम्र 29 वर्ष निवासी खडंल्ई तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्री अजय पाटीदार पटवारी को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 4,000/- रूपये की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हू । जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 10.05 ए.एम पर दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री जयन्त कुमार पिता धनपाल जी यादव जाति यादव उम्र 39 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट वरदा थाना वरदा जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेद औषधालय शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर व श्री कपिल शर्मा पिता प्रकाशचन्द्र शर्मा उम्र 29 वर्ष जाति ब्राह्मण मुकाम पोस्ट ठाकरडा थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ लिपिक उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री हितेश कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.08.2025 को परिवादी श्री हितेश कुमार

द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 12.08.2025 को परिवादी एवं संदिग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 10.40 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट कुल राशि 4000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर की जामा तलाशी गवाह श्री जयन्त कुमार से लिवाई गई। जिसमें परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री हितेश कुमार द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री अखतर खान हैड कानि. नं. 05 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी को देने के लिए परिवादी हितेश कुमार द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री अखतर खान हैड कानि. से ही परिवादी श्री हितेश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अख्तर खान हैड कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अखतर खान हैड कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री अख्तर खान हैड कानि. से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉं, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री हितेश कुमार को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री अख्तर खान हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री अजय पाटीदार पटवारी से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जीग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को

सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 11.15 ए. एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. व परिवादी श्री हितेश कुमार को उसकी निजी मोटरसाईकिल मे डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पटवार मण्डल गडाझुमजी की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं श्री दीपक कानि. को निजी मोटरसाईकिल मे रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, करण सिंह एएसआई., श्री बाबु लाल कानि, एवं श्री महेशचन्द्र कानि मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.जे.-1745 से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पटवार मण्डल गडाझुमजी की तरफ रवाना हुए। समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर मे रवानाशुदा पटवार मण्डल गडाझुमजी के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल कर कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को दिया जिस पर कानि. श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा उसे शुरू कर समय 12.35 पी.एम पर परिवादी को सुपुर्द कर पटवार मण्डल गडाझुमजी के लिए रवाना किया व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पटवार मण्डल गडाझुमजी के आस-पास मुकिम हुये । समय करीब 12.45 पी.एम पर कानि. वीर विक्रम सिंह ने जरिये कॉल बताया की परिवादी श्री हितेश कुमार पटवार मण्डल गडाझुमजी से बाहर निकलकर मेरे पास आया व परिवादी ने बताया की पटवारी जी अजय पाटीदार पटवार मण्डल पाडला सरोदा के लिए निकले है जिस पर कानि. वीर विक्रम सिंह को पाबन्द किया की आप व परिवादी दोनो भी पटवार मण्डल पाडला सरोदा पहूँचे। समय करीब 12.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे पटवार मण्डल गडाझुमजी से रवाना हो समय करीब 01.10 पी.एम पहूँच अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पटवार मण्डल पाडला सरोदा के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 01.20 पी.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार पटवार मण्डल पाडला सरोदा से बाहर निकलकर बिना कोई निर्धारित ईशारा किये हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान के पास आया जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू अवस्था में मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बन्द कर ट्रैप बाक्स में सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया की मै पटवार मण्डल पाडला सरोदा गया वहा पटवारी अजय पाटीदार मिले जिन्होने कहा तेरा काम हो जायेगा। जिस पर मेने कहा की सर आपने कहा वो लेकर आया हुं जिस पर उसने कहा नही चाहिये जिस पर मे वहा मे रवाना हो आपके पास आया हूं। आईन्दा पुनः उनके द्वारा रिश्वत राशि के लिए सूचित करने पर मै आगे की कार्यवाही करवाने के लिए तैयार हूँ जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 03.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से पटवार मण्डल पाडला सरोदा से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहूँचे। तत्पश्चात् परिवादी श्री हितेश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में रखी रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए को स्वतन्त्र गवाहान श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा के समक्ष श्री अखतर खान हैड कानि. से निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा कर मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हितेश कुमार को आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रैप कार्यवाही की जा सकें । परिवादी श्री हितेश कुमार व स्वतन्त्र गवाहान श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 18.08.2025 समय करीब 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया की श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के लिए वापस न तो कोई कॉल आया न अभी तक उनके द्वारा मुझसे कोई सम्पर्क किया गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर परिवादी के मोबाईल नम्बर मे पटवारी श्री अजय पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 03.17 पी.एम पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा तो परिवादी ने कहा की "अपना वो काम हो गया क्या यार पेलेन्टी वाला" तो आरोपी ने कहा "हो जायेगा काम कागज दे दिये है न हो जायेगा काम चिन्ता क्यो कर रहे हो " तो परिवादी ने कहा "ठीक है साब कोई दिक्कत हो तो फोन करना साब" तो आरोपी ने कहा "ना ना कोई दिक्कत नही है" आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि से सम्बधीत कोई बात नही की। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देश दिये की आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में

बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रैप कार्यवाही की जा सकें। परिवादी श्री हितेश कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 26.08.2025 समय करीब 10.30 ए. एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर उपस्थित कार्यालय आया। मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया की श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के लिए वापस न तो कोई कॉल आया न अभी तक उनके द्वारा मुझसे कोई सम्पर्क किया गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 11.15 ए.एम पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा तो आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा कॉल नही उठाया गया। तत्पश्चात् पुनः समय 11.28 ए.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रख उक्त वार्ता की तो परिवादी ने कहा "आपना पेलेन्टी वाली दिनांक चालू है या बन्द हो गई" तो आरोपी ने कहा "बन्द हो गई वो तो" परिवादी ने कहा "पंचायत आना पडेगा तो आउंगा" तो आरोपी ने कहा "नाना कोई दिक्कत नही" उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् पुनः समय 11.39 ए.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल करवाया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रख उक्त वार्ता की तो आरोपी ने कहा की "अरे व्यस्त हु में थोडी देर बाद फोन करता हुं" उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया की "सर मे अहमदाबाद मजदुरी करता हुं, अब में कितने दिनो तक ओर इन्तजार करू मुझे मजदुरी के लिए अहमदाबाद जाना है। पटवारी श्री अजय पाटीदार रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने के बाद से लेकर आज दिनांक तक पटवार भवन नही आया है। मुझे लगता है उसे शंका हो गई है अब अजय पाटीदार पटवारी मुझसे रिश्वत के लिए सम्पर्क नही करेगें। मांग सत्यापन कार्यवाही के अनुसार पटवारी श्री अजय पाटीदार के विरूद्व अब तक की कार्यवाही अनुसार जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही करावे। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया व पाबन्दशूदा स्वतन्त्र गवाह को जरिये टेलिफोन कार्यालय मे शीघ्र उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। समय करीब 12.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व श्री कपिल शर्मा कनिष्ठ लिपिक उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे उक्त हालात से अवगत कराया गया। समय करीब 12.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 12.08.2025 को समय 12.59 पी.एम. पर आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व श्री हितेश कुमार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा दिनांक 12.08.2025 को आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व परिवादी श्री हितेश कुमार के मध्य पटवार मण्डल पाडला सरोदा में समय 01.48 पी.एम पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री हितेश कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पच्श्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया । समय करीब 01.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 14.08.2025 को आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व श्री हितेश कुमार के मध्य पटवार मण्डल पाडला सरोदा में समय 12.35 पी.एम पर हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर

करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री हितेश कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 02.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 18.08.2025 को समय 03.17 पी.एम पर आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व श्री हितेश कुमार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मूर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री हितेश कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 26.08.2025 को समय करीब 11.28 ए.एम पर आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व श्री हितेश कुमार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा दिनांक 26.08.2025 को समय 11.39 ए.एम पर आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी व श्री हितेश कुमार के मध्य हुई मोबाईल वाट्सअप वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री हितेश कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 02.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री अजय पाटीदार हाल पटवारी पटवार मण्डल गडाझुमजी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप मे श्री बाबु लाल कानि. न. 393 से कनेक्ट करा दिनांक 12.08.2025 को समय 12.59 पीएम, पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर व आरोपी श्री अजय पाटीदार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व दिनांक 12.08.2025 को समय 01.48 पी.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर व आरोपी श्री अजय पाटीदार के मध्य रूबरू मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.08.2025 को समय 12.39 पीएम, पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रूबरू लेनदेन वार्ता, दिनांक 18.08.2025 को समय 03.17 पी.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, तथा दिनांक 26.08.2025 को समय 11.28 ए.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 26.08.2025 को समय 11.39 ए.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सअप वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप से कनेक्ट करा समस्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओ की तीन नई पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव एवं दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा एक आरोपी पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव SanDisk Cruzer Blade 8GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव SanDisk Cruzer Blade 8GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा तथा परिवादी श्री हितेश कुमार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री अजय पाटीदार हाल पटवारी पटवार मण्डल गडाझुमजी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में दिनांक

12.08.2025 को समय 12.59 पीएम, पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर व आरोपी श्री अजय पाटीदार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व दिनांक 12.08.2025 को समय 01.48 पी.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर व आरोपी श्री अजय पाटीदार के मध्य रूबरू मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.08.2025 को समय 12.39 पीएम, पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई लेनदेन वार्ता एवं दिनांक 18.08.2025 को समय 03.17 पी.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 26.08.2025 को समय 11.28 ए.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 26.08.2025 को 11.39 ए.एम पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वाट्सअप वार्ता जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड microSDHC 4GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री हितेश कुमार द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार व श्री कपिल शर्मा के समक्ष कहा की "मर मे अहमदाबाद मजदुरी करता हुं, अब में कितने दिनो तक ओर इन्तजार करू मुझे मजदुरी के लिए अहमदाबाद जाना है । पटवारी श्री अजय पाटीदार रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने के बाद से लेकर आज दिनांक तक पटवार भवन नही आया है। मुझे लगता है उसे शंका हो गई है अब अजय पाटीदार पटवारी मुझसे रिष्वत के लिए सम्पर्क नही करेगें। मांग सत्यापन कार्यवाही के अनुसार पटवारी श्री अजय पाटीदार के विरूद्व अब तक की कार्यवाही अनुसार जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही करावे। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार अब अग्रिम ट्रैप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहने पर परिवादी हितेश कुमार द्वारा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट कुल राशि 4000/- रूपये प्रस्तुत किये थे। उक्त राशि को मालखाना से निकालकर बाजार से परिवर्तित कराया जाकर परिवादी हितेश डेन्डोर को राशि 4000/- रूपये सुपुर्द किये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक कि कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हितेश कुमार डेंन्डोर के घर के पास 10 बीस्वा सरकारी जमीन पडी है उक्त जमीन पर 50 वर्षो से परिवादी के परिवार का कब्जा है उक्त जमीन को परिवादी के नाम कराने हेतु परिवादी श्री हितेश कुमार द्वारा पटवारी श्री अजय पाटीदार, पटवार हल्का गडाझुमजी से सम्पर्क किया तो श्री अजय पाटीदार पटवारी ने दिनांक 11.07.2025 को मौका देखा और परिवादी के नाम पर उक्त जमीन की पेनल्टी चालु कराने हेतु श्री अजय पाटीदार पटवारी ने परिवादी से जमीन की पैनल्टी चालू करवाने के बदले मे 6 हजार रूपये फिस के रूप में मांग कर परिवादी से 1000 रूपये मौके पर लिऐ। दिनांक 12.08.2025 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई गई। जिसमे आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी द्वारा परिवादी श्री हितेश कुमार से 5000/- रिश्वत राशि कि मांग कर 4000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति देने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात आरोपी श्री अजय पाटीदार पटवारी को शंका हो जाने से अग्रिम ट्रैप कार्यवाही नही हो सकी। अतः श्री अजय पाटीदार हाल पटवारी पटवार मण्डल गडाझुमजी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित हैं। भवदीय (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अजय पाटीदार पिता श्री धनेश्वर पाटीदार उम्र 28 वर्ष निवासी पोस्ट गोवाडी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गडाझुमजी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक,भ्रनिब्यूरो, उदयपुर ईन्टें.,उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 309 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1360-63 दिनांक 17-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-जिला कलक्टर, डूंगरपुर।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1 /2025

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/07/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)